13

समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 /2015 निगरानी निगरानी 623-I-15

भागवत पुत्र श्री रामचंन्द्र सांबारे निवासी गुरूदेव वार्ड पाढुंरना तहसील –पांढुरना , जिला छिन्दवाडा म.प्र. ।

.....आवेदक

विरूद्ध

शलिकराम पुत्र श्री तुलसीराम सांबारे निवासी गांधी वार्ड तहसील पाढुंरना जिला छिन्दवाडा म.प्र. ।

.....अनावेदकगण

निगरानी अतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राज्य सहिता 1959 विरूद्ध आदेश 12.1.2015 पारित द्वारा एडीशनल कमिश्नर जवलपुर संभाग जवलपुर म.प्र. अधीन रा0प्र0 क 82/अ–13/14–15 ।

माननीय महोदय ,

सेवा मे निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :–

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–:

1. यहकि , अनावेदक शलिकराम द्वारा मौजा गुजरखेडी तहसील व राजस्व निरीक्षक मण्डल पांढुरना जिला छिन्दवाडा मे स्थित भूमि खसरा न 5.7.8 रकवा 0.591 ,1.060 एवं 1.072 कुल रकवा 2.723 हे. भूमि मे पूर्व से चले आ रहे खानदानी रास्ते से आवेदक द्वारा अनावेदक एवं उसके परिवार के सदस्यो को आवागमन करने की रोक लंगाने के संबंध मे आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पांढुरना के न्यायालय मे राजस्व प्रकरण क 03/अ–13/13–14 पक्षकार शालिकराम विरूद्ध भागवत मे पारित आदेश दिनांक 28.6.14 मे उत्तरवादी को आवागमन वादग्रस्त रास्ते से यथावत रखा गया जिस तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पांढुरना जिला छिन्दवाडा के समक्ष अपील क 15/अ–13/13–14 प्रस्तुत की गई जिस अपील को गुण दोषो पर निराकरण किये वगैर एंव सभी साक्ष्य व कथनो पर ध्यान दिये वगैर सिर्फ पटवारी रिपोर्ट के आधार को सही मानते हुये आवेदक की अपील को आलोच्य आदेश दिनांक 25.11.2014 से अपील अस्वीकार की गई जिस अनुविभागीय अधिकारी पांढुरना के आदेश के विरूद्ध एडीशनर

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 623–एक/15 जिला – छिंदवाड़ा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-2016	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 82/अ–13/14–15 में पारित आदेश दिनांक 12–1–15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक शालिकराम द्वारा मौजा गुजरखेड़ी तहसील व रजस्व निरीक्षक मंडल पांढुरना जिला छिंदवाड़ा में स्थित भूमि खसरा नं. 5, 7 एवं 8 रकबा 0.591, 1.060 एवं 1.072 कुल रकबा 2.723 हैक्टर में पूर्व से चले आ रहे खानदानी रास्ते से आवेदक द्वारा उसे एवं उसके परिवार के सदस्यों को आवागमन करने से रोक दिया है । इसलिए आवेदक के विरूद्ध कार्यवाही की जाये । विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 28–6–14 द्वारा आदेश पारित करते हुए आवेदक को अनावेदक को रोके नहीं जाने संबंधी आदेश पारित किया । इस आदेश से व्यथित होकर आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 25–11–14 द्वारा निरस्त की । द्वितीय अपील अपील आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उद्धरित किए	

भगवत विरूद्ध शालिकराम

निग. - 623.I/15 (छिंदवाड़ा)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	गए हैं ।	

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण रास्ते से संबंधित है । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में आई साक्ष्य के आधार पर आवेदक को अनावेदकों को उसके स्वयं के खेत पर आने जाने तथा कृषि कार्य हेतु उपययोग किए जाने वाले रास्तो को न रोकने के आदेश दिए गए हैं । विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि दोनो अपीलीय न्यायालयो ने की है । इस प्रकार इस प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय तथ्यो के संबंध में समवर्ती हैं । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए उनके आदेशों में कोई विधिक या सारवान त्रुटि प्रतीत नहीं होती है जिस कारण हस्तक्षेप आवश्यक हो ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

सदस्य